पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका :
धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड के संदर्भ में एक अध्ययन

शोध प्रस्तावना

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के
सामाजिक विज्ञान संकाय के राजनीति विज्ञान विभाग
में पीएच0डी0 की उपाधि हेतु

शोधार्थी

नाम–अनामिका कुमारी
(पंजीयन संख्या : ....)
द्वारा समर्पित
विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

शोध निदेशिका
डॉ0 मीना मालखण्डी, सहायक प्रोफेसर
तथा एच0ओ0डी0 (राजनीति विज्ञान विभाग)
जी0एन0कॉलेज, धनबाद

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद
दिसम्बर, 2023

शोध अध्ययन की रूपरेखा

1. परिचय
2. साहित्य समीक्षा
3. शोध समस्या का विवरण
4. शोध का उद्देश्य
5. परिकल्पना
6. शोध प्रविधि
7. संकलनों के संग्रह और विश्लेषण में उपकरणों का प्रयोग
8. प्रस्तावित शोध का महत्व
9. प्रस्तावित शोध क्षेत्र, सीमाएँ एवं भविष्य कार्य योजना
10. संभावित अध्यायीकरण
11. संदर्भित ग्रंथों की सूची

1. परिचय :–

भारत एक ग्रामीण बहुलता वाला देश है। भारत देश वर्तमान में पूरी दुनियाँ में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है जो दो क्षेत्रों में विभक्त है– ग्रामीण और नगरीय। जहाँ जनगणना के आधार पर 27.8 प्रतिशत जनसंख्या न गरों में तथा 72.0 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करती है।[1] पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं उनको अस्तित्व प्रदान करने के लिये किया गया है। यह शासन के विभिनन कार्यों में स्थानीय जनता की सहभागिता या भागदारी को सुनिश्चित करती है। ये संस्थाएँ देश के विकास के संदर्भ में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। इन संस्थाओं के माध्यम से लोगों मे राजनीतिक चेतना का विकास होता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएँ तो होती ही है। ग्रामीण क्षेत्रों की इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हो सके।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत में प्रत्येक राज्यों के पंचायतों की रूपरेखा की व्यवस्था लागू की गई। संविधान में 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य संचालित करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है।[2] ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार से हो सकते हैं :–

(I) ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा, व्यवस्था, समस्या, विकास आदि के लिये जो भी योजनाएँ बन सकती है। उसे पंचायत के मुखिया प्रधान या प्रमुख द्वारा संचालित किया जाता है।

(II) ग्रामीणों के विकास के लिये सरकार द्वारा जो भी विकास कार्य है उसे जन–जन तक पहुँचाना तथा प्रोत्साहित करने का कार्य पंचायत के सेवकों द्वारा ही संभव है।

पंचायती राज व्यवस्था भारत को स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की एक ग्रामीण प्रणाली है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य करती है। भारत के आजाद होने के बाद देश के विकास एवं कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया इसके लिए जन–जन का विकास जमीनी स्तर पर करना आवश्यक था। इस कार्य हेतु पुरूषों व महिलाओं दोनों के एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि देश का स्वाँगिण विकास हो सके।

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं–

- एक त्रिस्तरीय ढांचें की स्थापना (ग्राम पंचायत समिति या मध्यवर्त्ती पंचायत, जिला परिषद)
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना।
- हर पॉच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण।
- राज्य चुनाव आयोग का गठन।

73वें संशोधन में महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण दिया गया है[3] ताकि वे घर के कार्यों तक ही सीमित न रह जाए, उनकी भूमिका या भागीदारी देश की राजनीति एक शक्ति प्रदान कर सकती है।

➢ **शोध का भौगोलिक क्षेत्र** :

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड की क्षेत्रीय स्थिति 33,443.81 हेक्टेयर है। यहॉ की कुल जनसंख्याएँ 2011 के अनु0 2,45,697 है। यह एक ऊँचाई वाला प्रदेश है। यहाँ 2,360. 99 एकड़ जमीन वन क्षेत्र है। इस प्रखंड से धनबाद जिले को काफी बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था की सहायता प्रदान होती है। गोविन्दपुर प्रखंड का क्षेत्रफल 329.71 कि0मी0 है, इसमें 39 ग्राम पंचायत

तथा 225 गाँव हैं। गोविन्दपुर तथा बरवाअड्डा पुलिस स्टेशन इस प्रखंड की सेवा करते हैं। यह जिला मुख्यालय धनबाद से 12 कि0मी0 दूर है। इसके अंतर्गत 220.184 ग्रामीण और 25,313 शळरी आबादी है। 52 प्रतिशत पुरूष तथा 48 प्रतिशत महिलाएँ है।[4]

इस शोध कार्य में मेरा पूरा प्रयास गोविन्दपुर प्रखण्ड के 39 पंचायतों की महिलाओं के विकास तथा उनकी पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक किसी भी रूप में भागीदारी को दर्शाना है। जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है या हो सकता है। महिलाओं के सर्वांगिण विकास तथा उनके कार्यों तक ही सीमित रहेगा।

- **धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखंड के 39 पंचायतों के नाम निम्नलिखित है :**

1.	अमरपुर	2.	बागसुमा
3.	आसनबनी–1	4.	बरियो
5.	आसनबनी–2	6.	बरवा इस्ट
7.	बड़ा नवाटांड़	8.	भेलाटांड़
9.	बड़ा पिछरी	10.	भितिया
11.	बिराजपुर	12.	महुबनी–1
13.	दमकरा बरवा	14.	महुबनी–2
15.	देवली	16.	कुलबेरा
17.	तिलाबनी	18.	कर्माटांड़
19.	तिलिया	20.	कंचनपुर
21.	सहराज	22.	कलादाबर
23.	रतनपुर	24.	जियलगोड़ा
25.	पाथुरिया	26.	जयनगर
27.	गोविन्दपुर पूर्व	28.	जंगलपुर
29.	पंडुकी	30.	जामडीहा
31.	नगरकियारी	32.	गोविन्दपुर पश्चिम
33.	मुर्गाबनी	34.	गोरतोपा
35.	मोरंगा	36.	उदयपुर
37.	मटियाला	38.	खरनी
39.	मरिचो		

2. साहित्य समीक्षा :–

1. गानीगेर (2013) : इस लेख में लेखक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, आर्थिक सशक्तता, सामाजिक रूप से अवसर प्राप्ति को दर्शाया है। इसके माध्यम से राजनीतिक कार्यों में महिलायें किस प्रकार से स्वाभिमानी बनकर अपनी सहभागिता में वृद्धि कर रही है। निष्कर्ष के रूप में लेखक ने महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि पर भी बल देते है तथा कानून में सुधार करने की भी बात करते हैं।

2. चौधरी (2018) : इस पत्र में बताया है कि पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। आज काफी संख्या में महिलाएँ चुनाव में भागीदारी दे रही है और जीतकर सत्ता में अपना योगदान भी दे रही है।

3. सीमारानी (2018) : ने ''ग्राम पंचायती में ग्रामीण'' महिलाओं की भूमिका लेख में विस्तृत रूप से बताई है कि वर्तमान में महिलायें किस प्रकार से राजनीति में रूची ले रही है। ग्रामीण महिलायें भी आरक्षण का लाभ उठाते हुए चुनाव में हिस्सा ले रही हैं।

4. शर्मा (1997) : ने अपनी पुस्तक '' वीमेन स्ट्रगल फॉर पोलिटिकल स्पेस'' में महिलाओं में किसी प्रकार से राजनैतिक सहभागिता में वृद्धि के लिये प्रोत्साहित करना है, इसमें सुझाव और दिशा को प्रस्तुत किया गया है।

5. महीपाल (2004) : ''पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ'' में पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत किन–किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तथा क्या–क्या समस्यायें उत्पन्न हो सकती है सकी संभावनाओं को उल्लेखित किया गया है।

6. सिंह एवं मुरारी (2018) : में लेखक ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय चुनावी ढाँचे को परिदृश्य किया है। जिसमें पहले में ग्राम पंचायत, द्वितीय में पंचायत समिति तथा तृतीय में जिला परिषद के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान किये हैं।

7. द्विवेदी (2015) : ने अपनी पुस्तक के माध्यम से महिलाओं के आत्मनिर्भर तथा सशक्तता के विषय में उल्लेखित कियाहै। इस लेख में लेखक ने पूर्ण विश्लेषित रूप से महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जीवन जीने तथा स्वंतत्रता को आवश्यक बताया है। वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं की चेतना के विषय में देखना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है।

8. सिंह (2018) : ने अपनी पुस्तक में दर्शाया है कि स्थानीय स्वाशसन में ग्रामीण क्षेत्र का विकास अनिवार्य है। इस लेख में त्रिस्तरीय ढाँचा को बताते हुए लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्व दिया है। सबसे नीचे पायदान पर ग्राम पंचायत जो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था के रूप में अस्तित्व में रही है।

9. माथुर (2013) : ने अपनी पुस्तक में संविधान संशोधन 73वाँ एवं महिलाओं के आरक्षण के विषय में विश्लेषणात्मक व वर्णानाात्मक शोध किया है। लेखक ने संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में क्या–क्या है तथा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है।

10. पांडे (1990) : ने अपनी पुस्तक ''राजनीति में महिलाएँ'' में महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से महत्व दिया है, बताया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को देखने के लिए मतदान की दर को देखना महत्वपूर्ण है।

3. **शोध समस्या का विवरण**

- महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने के बाद भी पूर्णतयः महिलाएँ खुलकर आगे नहीं आ पाती है।
- पंचायती चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है लेकिन परंपरागत एवं रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था होने की वजह से महिलाओं के पति, भाई और पुत्र द्वारा उनके राजनीतिक कार्यों का निर्वहन किया जाता है।
- चुनाव लड़ने से पहले तथा बाद में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक तथा पारिवारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए आगे बढ़ती है।
- सांस्कृतिक मानदंडो तथा रूढ़िवादिता के कारण भी महिलाएँ राजनीति में भाग नहीं ले पाती है। जिसके अंतर्गत पर्दा प्रथा, अन्य पुरूष से बातचीत न करना, महिलाओं का घर से बाहर न निकलना आदि शामिल है।
- अधिकांश महिलाओं में चुनाव तथा राजनीति एक नवीन अनुभव होती है जिसके लिए कार्य कौशल, शिक्षा तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। महिलाओं में आवश्यक कौशल का अभाव भी एक विकट समस्या को उत्पन्न करती है।

4. **शोध का उद्देश्य** :

- धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड के 39 पंचायतों का अवलोकन कर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता तथा योगदानों पर 73वें संवैधानिक संशोधन के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।

- ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को नई दिशा में परिवर्तनों का उचित उपायों का अध्ययन कर निष्कर्षों के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में गोविन्दपुर प्रखण्ड की ग्रामीण महिलाओं का ग्राम विकास कार्यों मे उनकी भूमिका का अध्ययन करना।
- पंचायतीय कार्यों मे महिला प्रतिनिधियों के राजनीतिक भागिदारी में आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं का अध्ययन करना।

5. **परिकल्पना** :–

- पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास योजनाओं के द्वारा ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी उनके जीवनशैली में बदलाव आ रहा है।
- पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के भागीदारी से सामाजिक रूप से उनके आत्मविश्वास तथा शक्ति के विकास को देखा जा रहा है।
- पंचायतों में महिलाओं के प्रत्याशी रूप में निर्वाचन तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी में विकास तथा अभिरूची को बढते देखा जा रहा है एवं सामाजिक तथा पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

6. **शोध प्रविधि** :–

- प्रस्तावित शोध कार्य क्षेत्रीय कार्य पर आधारित है इसलिए शोध कार्य में शोध की प्रविधि ऐतिहासिक, विवरणात्मक तथा विश्लेषणात्मक होगी। साथ ही शोध से सम्बंधित आंकड़ों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली पद्धति का भी प्रयोग करूंगी।

7. संकलनों के संग्रह और विश्लेषण में उपकरणों का प्रयोग

- **स्रोत**

तथ्यों या समंकों का संकलन इस शोध के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने हेतु प्राथमिक व द्वितीयक **स्रोतों** से सुचनओं व तथ्यों का संगठन किया जायेगा ताकि शोध में एक नवीन खोज या तथ्य को प्रस्तुत किया जा सके।

प्राथमिक स्रोत : प्राथमिक स्रेतसे सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये ग्राम सभा, पंचायतों, ग्रामीण वासियों, महिला निर्वाचित मुखिया प्रत्याशियों, आँगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं, वार्ड सदस्यों तथा प्रखंड कार्यालयों का प्रत्यक्ष, अवलोकन किया जायेगा। सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये वर्तमान तथा ऐतिहासिक रूप से गोविन्दपुर प्रखण्ड की महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से है इसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना है।

द्वितीयक स्रोतः शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन के सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक पक्ष को विवेचित करने के लिए द्वितीयक **स्रोतों** में सूचनाएँ एकत्रित की जायेगी। इस क्रम में राज्य सरकार या प्रखंड स्तर पर जारी की गई सूचनाओं, समाचार पत्रों विषय से सम्बंधित पुस्तकों, लेखों, प्रलेखी, शोध प्रबंधों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया जायेगा।

➢ **उपकरण तथा लिंक्स** :

कम्प्यूटर, इंटरनेट, अखबार, अन्य पुस्तकें, यू–ट्यूब, गूगल, शोध, गंगा, शोध गंगोत्री आदि की सहायता ली जायेगी साथ ही प्रकाशित प्रलेखों, शोधकर्त्ताओं के प्रकाश को भी अध्यन में उपयोग किया जायेगा।

8. **प्रस्तावित शोध का महत्व** :

प्रस्तावित शोध कार्य पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका तथा आने वाली समस्याओं के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महिलायें किस प्रकार से अपना योगदारन प्रधान कर ही है। इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। जो समाज की दिशा–निर्देश देने तथा महिलाओं के राजनीति के क्षेत्र में अभिरूचि प्रदान करने के साथ–साथ समाज को भी प्रेरणा देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर कम होने के कारण वहाँ के लोग सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं तथा आरक्षणों का लाभ कम उठा पाते हैं। इस शोध से महिलाओं को उनके अधिकारों तथा आरक्षण का लाभ के विषय में जानकारी मिल सकती है। साथ ही महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी संभव हो सकता है।

9. **प्रस्तावित शोध क्षेत्र, सीमाएँ एवं भविष्य कार्य योजना :**

प्रस्तुत शोध की अपनी परिसीमाएँ निश्चित है इसका शोध क्षेत्र गोविन्दपुर प्रखण्ड के अंतर्गत 39 पंचायतों के महिलाओं की भूमिका तक सीमित रहेगी। महिला प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान आने वाली समस्याएँ भी इस शोध की सीमाएँ होंगी।

10. **संभावित अध्यायीकरण** :

➢ **प्रस्तावना**

प्रथम अध्याय	–	पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
द्वितीय अध्याय	–	73वें संवैधानिक संशोधन की प्रावधान और महिलाओं के अधिकार।
तृतीय अध्याय	–	झारखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका
चतुर्थ अध्याय	–	धनबाद जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका तथा स्थिति।
पंचम् अध्याय	–	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका राजनीतिक एवं सामाजिक परिपेक्ष्य में।

➢ **निष्कर्ष** :

संदर्भ–सूची

1. अग्रवाल, पी. के. (2018). 'भारत में पंचायती राज', ज्ञान गंगा, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

2. माथुर, कुलदीप. (2013). 'ऑक्सफॉर्ड इण्डिया सॉर्ट इन्ट्रोडक्शन पंचायती राज', ऑक्सफॉर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

3. माथुर, शकुन्तला. (1945). 'प्राचीन भारत में पंचायती राज की परंपरा' विधि भारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

4. गोविन्दपुर प्रखण्ड कार्यालय के सरकारी दस्तावेज।

5. महीपाल, (2004). 'पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएं', नई दिल्ली, नेशन बुक ट्रस्ट।

6. पटनायक, रायमन. (1994). 'लॉकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म', अनमोल प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली।

7. रानी, सीमा. (2018). 'ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका', शोध मंथन, पृष्ठ संख्या 22–27।

8. सिंह, एस.के. (1992). 'रॉल ऑफ पंचायती राज इन इण्डिया' रूद्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

9. सिंह, अभय. प्रसाद. एवं मुरारी. कृष्ण. (2018). 'भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र', ओरियंट ब्लेकस्वॉन, प्राईवेट लि0, हैदराबाद।

10. श्रीवास्तव, आशुतोष. (2004). 'विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था', सनराइज पब्लिकेशन, दिल्ली।

11. सिन्हा, बृजमोहन. (1976). 'भारत में नगरीय सरकारें', राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, पी. के. (2018). 'भारत में पंचायती राज', ज्ञान गंगा, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
2. गनीगेर, भारती. (2013). पंचायती राज व्यवस्था।
3. गोविन्दपुर प्रखण्ड कार्यालय के सरकारी दस्तावेज।
4. जैन एवं गानीगेर, अश्वीन, बी.सुनीता भी, स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेंग्थींग वुमेन्स पॉजीसन एण्ड पॉलीटीकल पाट्रीसीपेशन इन लॉकल सेल्फ गर्वन्मेंट इन एक्सप्लेनेटरी स्टडी, गोल्डेन रिसर्च थोट्स,
5. जनगणना रिपोर्ट, 2011 जनसंख्या एवं जनगणना निदेशालय, झारखण्ड सरकार।
6. पटनायक, रायमन. (1994). 'लॉकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म', अनमोल प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
7. पंचायती राज व ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, शोध गंगा।
8. महीपाल, (2004). 'पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएं', नई दिल्ली, नेशन बुक ट्रस्ट।
9. माथुर, कुलदीप. (2013). 'ऑक्सफॉर्ड इण्डिया सॉर्ट इन्ट्रोडक्शन पंचायती राज', ऑक्सफॉर्ड पबिल्केशन, नई दिल्ली।
10. माथुर, शकुन्तला. (1945). 'प्राचीन भारत में पंचायती राज की परंपरा' विधि भारती प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. रानी, सीमा. (2018). 'ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका', शोध मंथन, पृष्ठ संख्या 22—27।
12. शोध आलेख : पंचायती राज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ, नई दिल्ली, नेशन बुक ट्रस्ट।
13. सिंह, एस.के. (1992). 'रॉल ऑफ पंचायती राज इन इण्डिया' रूद्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
14. सिंह, अभय. प्रसाद. एवं मुरारी. कुष्ण. (2018). 'भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र', ओरियंट ब्लेकस्वॉन, प्राईवेट लि0, हैदराबाद।
15. सिन्हा, बृजमोहन. (1976). 'भारत में नगरीय सरकारें', राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
16. श्रीवास्तव, आशुतोष. (2004). 'विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था', सनराइज पब्लिकेशन, दिल्ली।